दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

पत्रांक : 816 /कुसका/2025 दिनांक : 25 मार्च, 2025

सेवा में,

समस्त प्राचार्य/प्रबन्धक,
सम्बद्ध महाविद्यालय,
दी0द0उ0 गोरखपुर विश्वविद्यालय,
गोरखपुर।

विषयः– वित्तीय वर्ष 2024–25 में अनुसूचित जाति/सामान्य वर्ग पूर्वदशम् एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत समस्त शिक्षण संस्थानों से ग्रेडिंग का विवरण प्राप्त कर परीक्षण करते हुए निदेशालय को उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया संलग्न उपर्युक्त विषयक जिला समाज कल्याण अधिकारी, कुशीनगर के पत्रांक:C-2858 दिनांक 12.03.2025 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जो वित्तीय वर्ष 2024–25 में अनुसूचित जाति/सामान्य वर्ग पूर्वदशम् एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत समस्त शिक्षण संस्थानों से ग्रेडिंग का विवरण प्राप्त कर परीक्षण करते हुए निदेशालय को उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

अतः उक्त के क्रम में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय

संलग्नक : यथोपरि।

कुलसचिव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. जिला समाज कल्याण अधिकारी, कुशीनगर, देवरिया एवं गोरखपुर।
2. प्रभारी, वेबसाइट को इस आशय से प्रेषित कि इस पत्र को महाविद्यालयों के लॉगिन में अपलोड करने का कष्ट करें।
3. प्रभारी सचिव कुलपति, मा0 कुलपति जी के अवलोकनार्थ।

कुलसचिव

अति महत्वपूर्ण / समयबद्ध

कार्यालय–जिला समाज कल्याण अधिकारी, कुशीनगर।

पत्रांकः / स0क0 / छात्रवृत्ति योजना / 2024–25 दिनांकः 12/03/2025

समस्त प्राचार्य / प्रधानाचार्य / प्रबंधक–विद्यालय / महाविद्यालय / आई0टी0आई0 संस्थान / नर्सिंग विद्यालय / मेडिकल / पैरामेडिकल / पॉलिटेक्निक / टेक्निकल संस्थान / विश्वविद्यालय,
जनपद–कुशीनगर।

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2024–25 में अनुसूचित जाति / सामान्य वर्ग पूर्वदशम् एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत समस्त शिक्षण संस्थानों से ग्रेडिंग का विवरण प्राप्त कर परीक्षण करते हुए निदेशालय को उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।**

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्रांक–सी–4916 / स0क0 / शिक्षा–अ / 9 / 602–2(ख) दिनांक 07.03.2025 एवं सी–4649 दिनांक 24.02.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा 14 बिन्दुओं पर ध्यानाकर्षण कराते हुए नियमावली के समस्त नियमों का कड़ाई से अनुपालन करने के साथ वित्तीय वर्ष 2024–25 में अनुसूचित जाति / सामान्य वर्ग पूर्वदशम् एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत छात्र / छात्राओं के डाटा पर जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के स्तर से समयान्तर्गत निर्णय लेने एवं नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये थे।

अवगत कराना है कि निदेशालय पत्र दिनांक –24.02.2025 के बिन्दु संख्या–11 में उल्लिखित है कि नियमावली के नियम–6(xvii)(क) एवं (ख) में प्रविधान है कि वित्तीय वर्ष 2025–26 से केन्द्र / राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्रान्त केन्द्र / राज्य / निजी / डीम्ड आदि सभी विश्वविद्यालयों एवं शिक्षण संस्थानों को NAAC (National Aosessment & Accreditation Council-And Autonomous Institution of the University Grant Commission) से वर्ष 2024 तक ग्रेडिंग प्राप्त करनी होगी। वर्ष 2025–26 से उपरोक्तानुसार ग्रेडिंग प्राप्त विश्वविद्यालय / शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्र / छात्राओं को शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति अनुमन्य है।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली (मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार) द्वारा प्रदत्त मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में संचालित तकनीकी पाठ्यक्रमों में वर्ष 2024 तक NBA (National Board of Accreditation) ग्रेडिंग प्राप्त करनी होगी। वर्ष 2025–26 शिक्षण सत्र से NBA (National Board of

Accreditation) ग्रेडिंग प्राप्त संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को ही शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति अनुमन्य है।

अतः उक्त के क्रम में समस्त शिक्षण संस्थान को निर्देशित किया जाता है कि जनपद में स्थित तथा मास्टर डाटा में AISHE Code वैलिडेशन के उपरान्त सम्मिलित उपरोक्तानुसार ग्रेडिंग विवरण अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में दिनांक 25.03.2025 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे उक्त ग्रेडिंग विवरण ससमय निदेशालय को प्रेषित किया जा सके।

(संदीप चौधरी)
जिला समाज कल्याण अधिकारी
कुशीनगर।

पृष्ठांकन सं0 C-2858 /तद्‌दिनांक।
प्रतिलिपि--निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1— निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
2— जिलाधिकारी महोदय, कुशीनगर।
3— मुख्य विकास अधिकारी, कुशीनगर।
4— उपनिदेशक, समाज कल्याण, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।
5— क्षैत्रिय उच्च शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि समस्त संस्थाध्यक्षों को अपने स्तर से कार्यवाही हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
6— जिला विद्यालय निरीक्षक, कुशीनगर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि समस्त संस्थाध्यक्षों को अपने स्तर से कार्यवाही हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
7— जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, कुशीनगर।
8— जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, कुशीनगर।
9— नोडल अधिकारी छात्रवृत्ति, दी0द0उ0 विश्वविद्यालय, गोरखपुर को इस आसय के साथ प्रेषित कि समस्त सम्बद्ध शिक्षण संस्थानों को अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

जिला समाज कल्याण अधिकारी
कुशीनगर।